

अफ्रीकी मूल के लोगों का स्थायी मंच

प्रलिस के लयल:

संयुक्त राष्ट्र महासभा, अफ्रीकी मूल के लोगों का स्थायी मंच

मेन्स के लयल:

संयुक्त राष्ट्र महासभा में अफ्रीकी मूल के लोगों हेतु एक स्थायी मंच की स्थापना के प्रस्ताव से नस्लवाद जैसे मुद्दों का समाधान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [संयुक्त राष्ट्र महासभा](#) ने अफ्रीकी मूल के लोगों हेतु एक स्थायी मंच की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

- यह फोरम मान्यता, न्याय और विकास के वषियों पर केंद्रति है।

प्रमुख बदि

परचिय:

- यह फोरम नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, जेनोफोबिया और असहषिणुता की चुनौतियों का समाधान करने के लयि वषिषज्ज सलाह प्रदान करेगा।
- यह "अफ्रीकी मूल के लोगों की सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता तथा आजीविका में सुधार के लयि एक मंच" एवं उन समार्यों में उनके पूर्ण समावेश के रूप में काम करेगा, जहाँ वे रहते हैं।
- इसे जनादेश की एक शृंखला प्रदान की गई थी।
 - इनमें "अफ्रीकी मूल के लोगों का पूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समावेश" सुनिश्चति करने में मदद करना तथा जनिवा स्थति मानवाधिकार परिषद, महासभा की मुख्य समतियों व संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को नस्लवाद से नपिटने हेतु सफिकारशें प्रदान करना शामिल है।
- फोरम में 10 सदस्य होंगे:
 - सभी कषेत्रों से महासभा द्वारा चुने गए पाँच सदस्य।
 - अफ्रीकी मूल के लोगों के कषेत्रीय समूहों और संगठनों के साथ परामर्श के बाद मानवाधिकार परिषद द्वारा नयुक्त पाँच सदस्य।
- यह संकल्प वर्ष 2022 में होने वाले फोरम के पहले सत्र आयोजन का आहवान करता है।

अफ्रीकी मूल के लोग:

- परचिय:
 - अमेरिका में रहने वाले लगभग 200 मलयिन लोग अफ्रीकी मूल के होने के नाते अपनी पहचान बना रहे हैं।
 - अफ्रीकी महाद्वीप के बाहर भी दुनिया के अन्य हसिसों में कई लाख और लोग रहते हैं।
- मुद्दे:
 - चाहे वे ट्रान्स अटलांटिक दास व्यापार से पीड़ितों के वंशज हों या हाल के प्रवासियों के रूप में, वे कुछ सबसे गरीब और सबसे हाशयि पर स्थति समूहों का गठन करते हैं।
 - गुणवत्तापूर्ण शक्ति, स्वास्थय सेवाओं, आवास और सामाजिक सुरक्षा तक उनकी पहुँच अभी भी सीमति है।
 - वे सभी अक्सर न्याय तक पहुँच के मामले में भेदभाव का अनुभव करते हैं और नस्लीय प्रोफाइलिंग के साथ-साथ पुलसि हसिा की खतरनाक रूप से उच्च दर का सामना करते हैं।
 - इसके अलावा मतदान और राजनीतिक पदों पर कब्जा करने में उनकी राजनीतिक भागीदारी अक्सर कम होती है।
- संबंधति पहल:
 - **डरबन घोषणा और कार्ययोजना (2001):**
 - इसने सवीकार कयिा कअफ्रीकी मूल के लोग गुलामी, दास व्यापार और उपनविशवाद के शकिकार थे तथा इसके परिणामों के शकिकार बने रहे।

- इसने उनकी दृश्यता को बढ़ाया और राज्यों, संयुक्त राष्ट्र, अन्य अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय निकायों तथा नागरिक समाज द्वारा की गई ठोस कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप उनके अधिकारों के प्रचार और संरक्षण की महत्त्वपूर्ण प्रगति में योगदान दिया।
- वर्ष 2014 में महासभा ने आधिकारिक तौर पर अफ्रीकी मूल के लोगों के लिये अंतरराष्ट्रीय दशक (2015 - 2024) का शुभारंभ किया।

नस्लवाद

परिचय:

- नस्लवाद का आशय ऐसी धारणा से है, जिसमें यह माना जाता है कि मनुष्यों को 'नस्ल' के रूप में अलग और वशिष्ट जैविक इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है; इस धारणा के मुताबिक, वरिष्ठता में मली भौतिक वशिष्टताओं और व्यक्तित्व, बुद्धि, नैतिकता तथा अन्य सांस्कृतिक एवं व्यावहारिक वशिष्टताओं के लक्षणों के बीच संबंध होता है और कुछ वशिष्ट 'नस्लें' अन्य की तुलना में बेहतर होती हैं।
- यह शब्द राजनीतिक, आर्थिक या कानूनी संस्थानों और प्रणालियों पर भी लागू होता है, जो 'नस्ल' के आधार पर भेदभाव करते हैं अथवा धन एवं आय, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, नागरिक अधिकारों तथा अन्य क्षेत्रों में नस्लीय असमानताओं को बढ़ावा देते हैं।
 - प्रायः ज़ेनोफोबिया और नस्लवाद को एक जैसा माना जाता है, कति इनमें अंतर यह है कि नस्लवाद में शारीरिक वशिष्टताओं के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जबकि ज़ेनोफोबिया में इस धारणा के आधार पर भेदभाव किया जाता है कि कोई विदेशी है अथवा किसी अन्य समुदाय या राष्ट्र से संबद्ध है।
 - 'ज़ेनोफोबिया' शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द 'ज़ेनो' से हुई है।
- भारतीय समाज में नस्लीय भेदभाव काफी गहरे तक मौजूद है।

नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध पहलें:

- **डरबन डिक्लेरेसन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन (2001):** इसे 'नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, ज़ेनोफोबिया और संबंधित असहिष्णुता के खिलाफ विश्व सम्मेलन' द्वारा अपनाया गया था।
- प्रतर्विष 21 मार्च को 'अंतरराष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दविस' का आयोजन किया जाता है।
- 'संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन' (यूनेस्को) द्वारा शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से नस्लवाद के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई इस संबंध में एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करती है।
- **ग्लोबल फोरम अगैस्ट रेसिज़्म एंड डिसक्रिमिनेशन: पेरिस स्थिति यूनेस्को के मुख्यालय में कोरिया गणराज्य के साथ साझेदारी के माध्यम से इसकी मेजबानी की गई थी।**
- जनवरी 2021 में विश्व आर्थिक मंच ने कार्यस्थल पर नस्लीय और जातीय न्याय में सुधार के लिये प्रतर्विष संगठनों का एक गठबंधन शुरू किया था।
- 'ब्लैक लाइव्स मैटर' आंदोलन ने न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका बल्कि संपूर्ण विश्व में नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध आक्रोश को जन्म दिया है। वैश्विक स्तर पर तमाम तरह के लोग नस्लीय भेदभाव की व्यापकता के विरुद्ध एकजुट हुए हैं।

भारत में नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध प्रावधान:

- भारतीय संविधान के [अनुच्छेद 15](#), [अनुच्छेद 16](#) और [अनुच्छेद 29](#) 'नस्ल', 'धर्म' तथा 'जाति' के आधार पर भेदभाव पर प्रतर्विष लगाते हैं।
- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A भी 'नस्ल' को संदर्भित करती है।
- भारत ने वर्ष 1968 में 'नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन' (ICERD) की पुष्टि की थी।

आगे की राह

- अंतर-सांस्कृतिक संवाद का नवीनतम दृष्टिकोण युवाओं को किसी वर्ग वशिष्ट से संबंधित रूढ़ियों को समाप्त करने और उनमें सहिष्णुता बढ़ाने में सहायक हो सकता है।
- नस्लवाद और जातिवाद से संबंधित भेदभाव की हालिया घटनाएँ संपूर्ण समाज को समानता के संबंध में विभिन्न पहलुओं को नए स्तर से सोचने पर मजबूर करती हैं। नस्लवाद की समस्या को केवल सद्भाव अथवा सद्भावना के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिये नस्लवाद-विरुद्धी कार्रवाई की भी आवश्यकता होगी।
 - सुरक्षा में नई तकनीकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग 'तकनीकी-नस्लवाद' के खतरे को बढ़ाता है, क्योंकि चेहरे की पहचान प्रोग्राम नस्लीय समुदायों के संबंध में गलत पहचान को लक्षित कर सकता है।
- इसके लिये सहिष्णुता, समानता के साथ ही भेदभाव विरोधी एक वैश्विक संस्कृतिका निर्माण किया जाना काफी महत्त्वपूर्ण है।

स्रोत: द हिंदू